राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

वैशाख 13, शुक्रवार, *शाके* 1946-मई 03, 2024

Vaisakha 13, Friday , Saka 1946- May 03, 2024

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रपत्र-7

नियम 16 के उपनियम-(1) देखे

कार्यालय भूमि आवाप्ति अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी हिन्डौन जिला करौली

प्रारम्भिक अधिसूचना

करौली, फरवरी 01, 2024

संख्या भूमि अवाप्ति/2024 :-चूंकि राजस्थान सरकार/कलेक्टर को प्रतीत होता है कि 3.6527 है० भूमि, कोटा-मथुरा रोड रेलवे समपार एल.सी. 199 पर आर.ओ.बी. निर्माण कार्य के लिए आवश्यक है, जिसके लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (एस.आई.ए.) का कार्य मेसर्स राईट्स लिमिटेड (M/SRITESLTD.) द्वारा करवाया गया। एस.आई.ए. अध्ययन की रिपोर्ट का मूल्यांकन नियम 16 के अंतर्गत सरकार द्वारा गठित बहुउददेशीय कमेटी द्वारा किया गया जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

एस.आई.ए. रिपोर्टविवरण निन्म प्रकार से है:-

रिपोर्ट के अनुसार परियोजना से किसी भी परिवार के विस्थापन की आशंका नही है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के खण्डो का विस्तार से विवरण निम्नानुसार है:-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	खसरा नंबर	क्षेत्रफल है. में मानक माप
1	2	3	4	5
करौली	हिन्डौन	हिन्डौन ए.बी.सी.डी.	45	3.6527

1. अधिसूचित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के प्रावधानों के तहतकी गेई है।
2. सरकार द्वारा अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड हिन्डौन व उसके कर्मचारी को ईलाके में किसी भी भूमि की सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने या परियोजना के किर्यान्वे व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 केअंतर्गत वर्णित प्रावधानों कीअनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
3. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख पर अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने के समय तक प्राम्भिक अधिसुचन में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।
4. उपरोक्त भूमि में कोई भी हितवृद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के60 दिवस के भीतर अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अधिग्रहण के संबंध में अपत्ति सम्बंधित जिला कलेक्टर या उपखंड अधिकारी हिन्डौन के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

स्थान:- हिन्डौन

भूमि आवाप्ति अधिकारी एवं
उपखंड अधिकारी हिन्डौन,
जिला करौली।

भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत ग्राम हिन्डौन जिला करौली की अर्जित कीजा रही भूमि का विवरण:-

क्र.स.	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	किस्म भूमि	कुल रकबा (है.)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (है.)	प्रभावित व्यक्ति का नाम/पता	सीमाएं				वृक्षा		संरचना		विवरण
							पूर्व	पश्चिम	उत्तर	दक्षिण	किस्म	संख्या	प्रकार	प्लिंथ का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2985	अकृषि	गै.मु. कुँआ	0.0200	0.0074	उगन्ती पुत्री रामभरोसी हिस्सा-1/40 जाति-जाटव, कमलेश पुत्री रामलाल हिस्सा-1/120 जाति-जाटव,काडया पुत्र दौजी हिस्सा-1/8 जाति-जाटव,	2986	2983	2984	3043			1 चबूतरा 1 झोपडी	15X15फीट	
						किस्तुरी पत्नि स्व.									
						चोथी हिस्सा-1/144 जाति-जाटव, गुड्डी पुत्री भदई हिस्सा-1/96 जाति-जाटव, चिडिया पुत्री रामलाल हिस्सा-1/120 जाति-जाटव, नाबालिग जीमनसिंह पुत्र रामलाल सरंक्षक सरपरस्त माता शान्ति हिस्सा-1/120 जाति-जाटव, टीटया पुत्र बुद्धि हिस्सा-1/24 जाति-जाटव, दिनेश पुत्र भदई हिस्सा-1/96 जाति-जाटव, निर्मला पुत्री चोथी हिस्सा-1/144 जाति-जाटव, प्रकाश पुत्र चोथी हिस्सा-									
						1/144 जाति-जाटव, बाबूलाल पुत्र सरमन हिस्सा-1/36 जाति-जाटव, बाबूलाल पुत्र सरमन हिस्सा-1/12 जाति-जाटव, भरतलाल पुत्र रामधन हिस्सा-1/12 जाति-जाटव, मुन्नालाल पुत्र रामभरोसी हिस्सा-1/40 जाति-जाटव, ममतेश पुत्री भदई हिस्सा-1/96 जाति-जाटव, मानसिंह पुत्र रामधन हिस्सा-1/12 जाति-जाटव, मीरा पुत्री रामलाल हिस्सा-1/120 जाति-									

शेष पृष्ठ 2 पर